

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2211/2013/जयपुर

मैसर्स यदुपति स्टील्स,
26 नेताजी की ढाणी, सांगानेर, जयपुर

....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, वृत्त प्रतिकरापवंचन, अलवर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह, आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक
श्री शितांशु शर्मा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01.10.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 145/आरवैट/2012-13/उपा/अपील्स/अलवर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन अलवर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.09.2012 के जरिये कायम की गयी शास्ति राशि रूपये 1,95,247/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 24.09.2012 को वाहन संख्या एचआर-47/7834 को शाहजहांपुर के पास चैक किया गया जिसमें टी.एम.टी. एम.एस. बार (TMT MS BAR) भरा पाया गया। चालक द्वारा जांच अधिकारी को मैसर्स यदुपति स्टील्स, सांगानेर, जयपुर द्वारा मैसर्स आशीष ट्रेडिंग कम्पनी, ततारपुर, भिवाड़ी के नाम जारी वैट इन्वॉयस नं 09 दिनांक 23.09.2012 जांच हेतु प्रस्तुत किये। जांच अधिकारी को उक्त परिवहनित माल का गंतव्य संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण माल व वाहन को जब्त किया गया। माल के क्रेता मैसर्स आशीष ट्रेडिंग कम्पनी, ततारपुर, भिवाड़ी से पूछताछ करने पर क्रेता व्यवहारी उक्त माल क्रय करने से इन्कार किया

31

गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2012 को शाहजहांपुर में खड़े वाहन में लदे माल का वाहन चालक एवं 2 स्वतन्त्र गवाहों की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद वाहन में स्टैण्डर्ड साईज (36 से 40 फुट एवं 8 से 12 एम.एम.) का होना पाया गया एवं वजन दस्तावेजों में वर्णित अनुसार ही 16.230 मैट्रिक टन पाया गया।

3. इस प्रकार जांच अधिकारी ने पाया कि स्टैण्डर्ड साईज के परिवहन माल को कटिंग साईज का दर्शाते हुए स्टैण्डर्ड साईज का माल जो कि ज्यादा कीमत का है, को ही कम कीमत का माल दर्शाकर भी कर का अपवंचन करने का प्रयास किया गया है। अतः इस आधार पर जांच अधिकारी ने अलवर में ही कार्यरत समान माल में कारोबार करने वाली फर्मों के यहां स्टैण्डर्ड साईज के माल की कीमत की जानकारी की गई एवं उसके अनुसार टी.एम.टी. बार की कीमत रूपये 40,100/- प्रति टन अनुमानित करते हुए कुल रूपये 6,50,823/- के माल पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु पत्रावली स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात वाहन में लदे स्टैण्डर्ड साईज के माल टी.एम.टी. एम. एस. बार्स को प्रस्तुत दस्तावेजों में कटिंग साईज का दर्शाते हुए परिवहनित किया जाकर कर का अपवंचन किये जाने के कारण अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत नोटिस जारी किया गया तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होते हुए परिवहनित माल कीमतन रूपये 6,50,823/- पर अधिनियम की धारा 76(6) के अंतर्गत 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 1,95,247/- आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि माल का परिवहन विधिक दस्तावेजों यथा-वैट इन्वॉयस एवं बिल्टी के माध्यम से किया गया था जिन्हें असत्य/मिथ्या साबित किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है, जो पूर्णतः अविधिक है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड, अजमेर के मैसर्स शान्ति कुमार पवन कुमार, 'मदनगंज किशनगढ बनाम एसीटीओ,



उड़नदस्ता, कोटा एवं मैसर्स गुप्ता आयरन ट्रेडर्स बनाम एसीटीओ तृतीय, सर्किल-अ, अलवर अपील संख्या 462/2009/अलवर के निर्णयों को उद्धरित करते हुए तर्क दिया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा अवधारित किया गया है कि बिना जांच के प्रस्तुत दस्तावेजों को असत्य एवं बोगस साबित किये बिना अधिनियम की धारा 76(6) में शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। परिवहनित माल की कीमत रुपये 5,45,328/- को बढ़ाते हुए रुपये 6,50,823/- मानकर शास्ति आरोपित की गई है जो पूर्णतः अविधिक है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनियम की धारा 18(1) में अण्डर बिलिंग के संबंध में विस्तृत रूप से प्रावधान दिये गये हैं जिसकी पालना के लिए सर्वप्रथम उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा अनुमति लिया जाना आवश्यक है जो नहीं ली गई अतः इस संबंध में की गई समस्त कार्यवाही पूर्णतः अविधिक है। माल के वजन में कोई अन्तर नहीं पाया गया एवं वाहन में फुल लेन्थ का माल होने के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा झूठे तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जबकि वाहन में वास्तव में कटिंग साइज का टी.एम.टी. बार्स ही लदा हुआ था। जांच के समय व्यवहारी द्वारा मैसर्स कमल स्पॉन्ज स्टील एण्ड पावर लि०, बगरू के खरीद बिल प्रस्तुत किये गये जिसमें 5 प्रतिशत वैट लगाया हुआ था एवं व्यवहारी को क्रेता फर्म मै० आशीष ट्रेडिंग कम्पनी, ततारपुर भिवाड़ी से माल क्रय करने संबंधी परचेज ऑर्डर प्राप्त हुआ जिसे कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से शास्ति का आरोपण किया गया है जो कि पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। अतः उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी की ओर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अभियोग पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा वाहन को इस संदेह पर निरुद्ध (detain) किया गया था कि परिवहनित माल घोषित गंतव्य के बजाय राज्य से बाहर परिवहनित करने का प्रयास किया जा रहा था। जांच अधिकारी के समक्ष जो बिल बिल्टी पेश किये गये थे उनमें यथाघोषित प्रेषिति (consignee) मैसर्स आशीष ट्रेडिंग कम्पनी, ततारपुर, पोस्ट सैंथल, तहसील तिजारा के प्रोपराइटर के बयान दिनांक 28.09.2012 में उन्होंने



प्रेषक व्यवहारी से ऐसा कोई माल मंगवाने से साफ इन्कार किया गया है, अर्थात् कि बिल, बिल्टी में घोषित प्रेषिती का नाम मिथ्या (false) पाया गया है। द्वितीयतः, परिवहनित माल के बिलों में MS TMT Bars की कीमत रु. 32,000/- प्रति टन घोषित है, परन्तु जांच अधिकारी ने माल के प्रकार एवं मूल्य की जांच पश्चात बिल में इसे कट साइज (MS TMT Cutting Size) का घोषित होना पाया है परन्तु वास्तव में परिवहनित माल Standard Size (length) MS TMT Bars होने से बाजार में इसकी प्रचलित दर रु. 40,100/- प्रति टन मानी है। इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने टीएमटी सरिया का व्यापार करने वाले दो व्यवसायों (i) M/s RK Iron & Stones, 7, लोहा मण्डी, अलवर तथा (ii) मैसर्स नवीन आयरन स्टोर्स, 3, लोहा मण्डी, अलवर से TMT Bars की प्रचलित दरें पूछने के पश्चात् ही परिवहनित माल का मूल्यांकन किया है। यही नहीं, जांच अधिकारी द्वारा राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित लौह माल की कीमतों की कटिंग भी पत्रावली पर लगाते हुए, इसे भी मूल्यांकन का आधार बनाया है। अतः वास्तव में परिवहनित माल का मूल्यांकन करने में भी जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि परिवहनित माल की कीमत सही घोषित नहीं कर अपीलार्थी द्वारा गलत घोषणा (false declaration) की गई है।

7. इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के पंजीयन व बिक्री सम्बन्धी रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि उसके द्वारा वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन दिनांक 20 फरवरी 2012 से प्रभावी, प्राप्त किया गया है तथा उसके द्वारा माल की बिक्री का प्रथम बिल दिनांक 21.07.2012 को जारी किया गया है जो 1.080 टन MS TMT Cutting Bars का है तथा परिवहनित माल बिल सं. 09/23.09.2012 से पूर्व के सभी बिल जयपुर में Consumers को स्थानीय बिक्री के हैं जो 1 टन से 2 टन तक माल की बिक्री के हैं। प्रश्नगत बिल सं. 09/23.09.2012 पंजीकृत व्यवसायी मैसर्स आशीष ट्रेडिंग कम्पनी, ततारपुर, भिवाड़ी के नाम है तथा उक्त व्यवहारी ने ऐसा कोई माल मंगवाने या क्रय आदेश देने से साफ इन्कार किया है। अतः अपीलार्थी के इस कथन में कोई बल नहीं पाया जाता है कि उक्त तथाकथित प्रेषिती मैसर्स आशीष ट्रेडिंग कम्पनी ने दबाव में कोई बयान दिये हैं, अपितु यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलार्थी ने कवर-अप टैक्टिक्स (cover up tactics) के तहत ही एक मिथ्या क्रय आदेश (purchase order) तैयार किया जिससे कि गलत डॉक्यूमेन्ट्स को सही ठहराया जा सके।



8. अभियोग पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रत्येक पहलू की सारगर्भित जांच की गई है एवं तदोपरांत ही मार्गस्थ माल के दस्तावेजों को मिथ्या एवं कूटरचित (false & forged) ठहराया गया है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने भी जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रकरण में अपीलार्थी का पक्ष सुनने के पश्चात् सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त परिवहनित माल के दस्तावेजों को मिथ्या एवं कूटरचित (false & forged) निर्णीत करने में कोई विधिक या प्रकियात्मक त्रुटि कारित नहीं की है।
9. उपर्युक्त विवेचनानुसार समग्र तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् इस पीठ का यह निश्चित अभिमत (firm view) है कि अपीलार्थी द्वारा करवंचना के प्रयोजन से ही मिथ्या एवं कूटरचित (false & forged) दस्तावेजों के सहारे माल का परिवहन किया गया है। उल्लेखनीय है कि धारा 76(6) के अनुसार शास्ति का आरोपण दो परिस्थितियों में किया जा सकता है, प्रथम, जबकि धारा 76(2)(b) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया हो, अथवा द्वितीय, जब परिवहनित माल के दस्तावेज मिथ्या या कूटरचित हों। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में परिवहनित माल के दस्तावेज मिथ्या एवं कूटरचित पाये गये हैं, अतः अपीलार्थी पर धारा 76(6) के अन्तर्गत किया गया शास्ति आरोपण पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है, अतः विवादित अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।
10. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।



01-10-2018

(ओमकार सिंह आशिया)

सदस्य